भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-22

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

पीएम पोषण योजना के लिए आवंटित निधि की संपरीक्षा

†22. डॉ. भोला सिंह:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पीएम पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री-लगत बढ़ाने के पीछे क्या तर्क है और इससे भोजन की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा;
(ख) क्या भोजन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवंटित धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष से संपरीक्षा कराई जा रही है;
(ग) इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और वर्धित पोषाहार संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार को पूरे देश में इस योजना को लागू करने में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा इस हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है, ताकि बालवाटिका (कक्षा 1 से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री की लागत में वृद्धि का तर्क सामग्री की लागत जैसे दालें, सब्जियां, खाना पकाने के तेल, अन्य मसालों और ईंधन में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखना है। 1 दिसंबर, 2024 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- ग्रामीण मजदूर (सीपीआई-आरएल) सूचकांक के आधार पर सामग्री लागत की मौजूदा दरों को 13.70% संशोधित कर बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चा प्रतिदिन 6.19 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति बच्चा प्रतिदिन 9.29 रुपये कर दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, या कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय,

जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, योजना के कामकाज पर समय-समय पर सामाजिक ऑडिट करेगा या करवाएगा और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या 2% स्कूलों में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा करना आवश्यक है। सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पीएम पोषण योजना को लागू करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल विभाग की है।

(ग): इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बालवाटिका (पहली कक्षा से ठीक पहले) और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11.20 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। पोषण सेवन के लिए इस योजना के तहत निम्नलिखित पोषण और भोजन मानदंड हैं:

क्र. सं.	**मद**	**प्राथमिक एवं बाल वाटिका**	**उच्च प्राथमिक**
क) प्रति बच्चा प्रति दिन पोषण मानदंड			
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख) प्रति बच्चा प्रति दिन भोजन मानदंड			
1.	खाद्यान्न	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियाँ	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	नमक और मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

पोषण सेवन सुनिश्चित करने हेतु, फोर्टिफाइड चावल (आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन), डबल फोर्टिफाइड नमक (आयरन और आयोडीन) और फोर्टिफाइड तेल (विटामिन ए और डी) से भोजन तैयार किया जाता है। कई राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, फल, दूध, रागी माल्ट और चिक्की आदि भी उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र निर्धारित पोषण सामग्री को पूरा करने के लिए अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपना मेन्यू तय करते हैं। श्री अन्न (बाजरा) सुपर अनाज है जो फास्फोरस, मैग्नीशियम सहित कई विटामिन और खनिजों का एक बड़ा स्रोत है जो पोषक तत्वों की आपूर्ति को बढ़ाता है। मेन्यू में कम से कम सप्ताह में एक बार श्री अन्न को शामिल करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी की गई है।

(घ): इस योजना के क्रियान्वयन में आई मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) राज्यों द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियाँ जारी करने में,

(ii) अन्य योजनाओं के साथ अपर्याप्त कवरजेंस,

(iii) प्रतिदिन भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना ।

सरकार ने उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित पहल की हैं।

अब, सरकार द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रणाली शुरू की गई है जिसके तहत राज्य सरकार को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाता खोलने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि को एसएनए खाते में स्थानांतरित किया जाता है जो महत्वपूर्ण और सक्षम उपयोग को सुनिश्चित करता है।

राज्यों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे छात्रों की स्वास्थ्य-जांच समय पर कराने और आयरन और फोलिक एसिड (साप्ताहिक) और डी-वॉर्मिंग गोलियों (अर्ध-वार्षिक) के वितरण पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल को सुदृढ़ करें।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया गया है कि छात्रों को भोजन परोसने से पहले स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), शिक्षकों, अभिभावकों आदि के सदस्यों द्वारा भोजन को चखना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा, होटल प्रबंधन, एफएसएसएआई और यूनिसेफ जैसे विभिन्न संस्थानों के माध्यम से रसोइया-सह-सहायकों को विटामिन की न्यूनतम हानि के साथ ताजा और पौष्टिक भोजन पकाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रसोइया-सह-सहायकों के बीच खाना पकाने की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सामाजिक लेखा परीक्षा टीमों के दौरे के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता की जाँच/सत्यापन भी किया जाता है।

राज्यों को योजना के बेहतर समन्वय/कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर अन्य विभागों/मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने की भी सलाह दी गई है।

*****